न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 249/2022 **दायरा दिनांक : 12.09.2022**

मोडूराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना हाल आबाद चक 10 एस.पी.डी. (सरदारपुरा खर्था) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– प्रतिवादी

उपस्थिती :–

श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार –वादी

पैरोकार राज – प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय **दिनांक : 09.02.2024**

आज यह वादपत्र वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुआ। एडवोकेट पक्षकारान उपस्थित व नायब तहसीलदार सूरतगढ़ उपस्थित। पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम खातेदारी भूमि वाके रोही ठुकराना की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खसरा नं. 1210/331 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो जमाबंदी से सिद्ध रिकॉर्ड है। वादी का वास्तविक नाम मोडूराम पुत्र सुखराम है वादी के आधार कार्ड व परिवार राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज व वादी के नाम इसी रोही चाहड़सर के खाता नं. 203/305 की 4.788 है0 रकबा की जमाबंदी में वादी का नाम मोडूराम पुत्र सुखराम नाम अंकित है वादी का वास्तविक नाम मोडूराम था मगर परिवार में मोडूसिह पुत्र सुखराम कहने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड में मोडूसिंह पुत्र सुखराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम मोडूराम पुत्र सुखराम है। वादी के तमाम दस्तावेज एंव रोही चाहड़सर की जमांबंदी में जो दावा के साथ पेश है मे वादी का नाम मोडूराम है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोडूराम पुत्र सुखराम दर्ज करवाने का मुस्तक है। श्रीमान जी इस प्रकार की दुरूस्ती एंव घोषणा करने में सक्ष्म है वादी का नाम रोही ठुकराना की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खसरा नं. 1210/331 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि में मोडूसिंह पुत्र सुखराम के स्थान पर मोडूराम पुत्र सुखराम दर्ज करने की घोषणा एंव दुरूस्त किया जावे। वादी द्वारा अपना दुरूस्त करवाने हेतु हल्का पटवारी को काफी बार कहा और अपने दस्तावेज भी दिये मगर हल्का पटवारी द्वारा नाम दुरूस्त नही किया गया व हल्का पटवारी को पुछने पर तुम नाम क्यों नही दुरूस्त करते तो स्पष्ट मना कर दिया। इसलिये यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

क्रमशः पेज 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2) मोडूराम बनाम सरकार

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नं. 01 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 01 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र डिक्री किया जावे। वादी द्वारा शपथपत्र पेश किया गया। जिरह निल रही। साक्ष्य वादी अन्य ब्यान नही करवाना चाहता। साक्ष्य वादी बंद किये गये पत्रावली वास्ते बहस रखा गया।

विद्वान एडवोकेट वादी ने वादपत्र के कथनो को दोहराया और निवेदन किया कि एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही ठुकराना की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खसरा नं. 1210/331 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो जमाबंदी से सिद्ध रिकॉर्ड है। वादी का वास्तविक नाम मोडूराम पुत्र सुखराम है जबकि वादी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड,अन्य दस्तावेज व सरपंच की तस्दीक तथा रोही चाहड़सर की जमाबंदी में वादी का नाम मोडूराम है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोडूराम पुत्र सुखराम दर्ज करवाने का मुस्तक है। श्रीमान जी इस प्रकार की दुरूस्ती एंव घोषणा करने में सक्षम है वादी का नाम रोही ठुकराना की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खसरा नं. 1210/331 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मोडूसिंह पुत्र सुखराम के स्थान पर मोडूराम पुत्र सुखराम दर्ज करने की घोषणा एंव दुरूस्त किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात बहस पर मनन किया एंव साक्ष्य एंव सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिये जाते है कि रोही ठुकराना की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खसरा नं. 1210/331 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मोडूसिंह पुत्र सुखराम के स्थान पर मोडूराम पुत्र सुखराम घोषित किया जाता है एंव आदेश प्रदान किये जाते है आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। इस आश्य की डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को सरे इज्लास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(बइजलास :– संदीप कुमार आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

मोडूराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना हाल आबाद चक 10 एस.पी.डी. (सरदारपुरा खर्था) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **– प्रतिवादी**

वाद पत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 83 वर्ष 2017 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** व प्रतिवादी पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि वाके रोही ठुकराना की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खसरा नं. 1210/331 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मोडूसिंह पुत्र सुखराम के स्थान पर मोडूराम पुत्र सुखराम दुरूस्त किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाने के आदेश दिये जातें है।

नोज --------x------ मुबलिग --------x------ बाबत --------x------ खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह --------x------ फस्दों की पालना --------x------ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.02.24 को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)